P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue-XI*July-2016

# गैर सरकारी संस्थाओं में संस्थागत स्थायित्व

**मोहम्मद रफीक**
असि0 प्रो0 एवं विभागाध्यक्ष,
समाजशास्त्र विभाग,
श्रीकृष्ण जनका देवी पी.जी. कालेज, डिलवल,
मंगलपुर,कानपुर देहात

**सारांश**

गैर सरकारी संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या तथा पुरानी संस्थाओं के अस्तित्व को बनाये रखने के लिये संघर्ष तथा उनके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्यन वर्तमान समय में समाजवादियों एवं सामाजिक वैज्ञानिकों के लिये चिंतन का विषय रहा है। नई संस्थाओं की संख्या अधिक बढ़ जाने से इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बाढ़ सी आ गयी है। ये सामाजिक विकासपरक संस्थायें स्वयं के विकास के साधन बनती जा रही है। ऐसी पुरानी संस्थायें जिन्होंने आजादी के बाद से सामाजिक निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनके सामने स्वयं के अस्तित्व रक्षा का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में गैर सरकारी संस्थाओं के संस्थागत स्थायित्व तथा उनके वित्तीय स्त्रोतो जिनके द्वारा गैर सरकारी संस्थायें अपने अस्तित्व को बनाये रखने एवं समाज के निचले स्तर तक विकासपरक कार्यों का सम्पादन गैर सरकारी संस्थायें कर सकें इसका अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

**मुख्य शब्द :** गैर सरकारी संस्थायें, संस्थागत स्थायित्व, समाजिक विकास।

**प्रस्तावना**

पिछले कुछ वर्षों में गैर सरकारी संस्थायें नागरिक समाज के प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्दशात्मक घटक के रुप में उभरकर सामने आये है। पिछड़े हुये लोगो को ससक्त करने में गैर सरकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण गैर सरकारी संस्थाओं की प्रासंगिकता भी बढ़ी है। गैर सरकारी संस्थाओं की सुदूर एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों में उपस्थिति लोगो से प्रत्यक्ष सम्पर्क करना, एवं उनके विकास के लिये सतप्रतिशत् प्रयत्नशील रहना और उनकी लचीली कार्य संस्कृती योजनाकर्ताओं एवं निती निर्माताओं को सकारात्मक रुप से प्रभावित किया है। गैर सरकारी संस्थाओं को विकासपरक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करवाने के समुचित उपकरण के रुप में प्रस्तुत किया जाता है। गैर सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में उपस्थित कठिनाईयों एवं उनके संस्थागत स्थायित्व को सैद्वांतिक रुप से समझना सरल नही है।

$NGO_s$ में वे समूह एवं संस्थान शामिल होते है जो पूर्ण रुप से या अधिकतर सरकारी नियंत्रण से मुक्त है एवं जिनके उद्देश्य मुख्य रुप से व्यवसायिक न हो कर मानवतावादी या सहकारी होता है। औद्योगिक देशों में वे व्यक्तिगत संस्थायें है जो अन्तर्राष्ट्रीय विकास का समर्थन करते है, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर संगठित स्वदेशी समूह एवं गॉवों में सदस्यता समूह $NGO_s$ में धर्मार्थ एवं धार्मिक संगठन शामिल होते है, जो विकास, खाद्य वितरण एवं परिवार नियोजन सेवाओं के लिये व्यक्तिगत निधि का संग्रह करते है एवं सामुदायिक संगठन को बढ़ाते है। इनमें स्वतंत्र सहकारी समितियॉ, सामुदायिक संगठन, जल प्रयोग समितियॉ, महिला संगठन, एवं धार्मिक संगठन शामिल होते है। नागरिक समूह जो जागरुकता जगाते है एवं नितियों को प्रमाणित करते है, वे भी $NGO_s$ कहलाते है।

वास्तव में, अभी तक एन0 जी0 ओ0 शब्द की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बनी है और इस शब्द के अलग–अलग अर्थ लगाये जाते है।

फिर भी इस शब्द की कुछ मूलभूत विशेषतायें होती है। एक एन0जी0ओ0 किसी सरकार के सीधे नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा असकी तीन अन्य विशेषतायें होती है जो दूसरे संगठनों से अलग करती है। किसी एन0जी0ओ0 का निर्माण एक राजनीतिक दल की तरह नही होना चाहिए। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिये,यह कोई अपराधिक संगठनक नही होगा और विशेषकर यह अहिंसक होगा। आम व्यवहार में यही विशेषतायें प्रयोग में होती है क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र की मान्यता की शर्तों से मेल खाती है। सीमायें कभी–कभी धुधंली भी हो सकती है व्यवहारिक रुप में कुछ एन0जी0ओ0एस0 किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नजदीकी से पहचाने जा सकते है, कुछ एन.जी.ओ. व्यापारिक गतिविधियों से आय पैदा करते है जिसमें प्रमुख रुप से परामर्श संविदाये या प्रकाशन की बिक्री शामिल है, और थोड़े से एन0जी0ओ0 हिंसक राजनीतिक प्रदर्शनों से जुड़े होते है फिर भी किसी

एन0जी0ओ0 को कभी भी एक सरकारी नौकरशाही, एक दल, कम्पनी, अपराधिक संगठन के रुप में नही बनाया जा सकता है। अतः एन0जी0ओ0 कई लोगों का एक स्वतन्त्र, स्वैच्छिक समागम है जो सत्ता प्राप्त करने, पैसा बनाने या गैर कानूनी गतिविधियों से अलग कुछ समान उद्देश्यों के लिये साथ–साथ लगातार काम करते है।

**अध्ययन का उद्देश्य**

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य उन विभिन्न मुद्दों को तलाशना है जो यह विस्तृत समझदारी विकसित कर सकें कि गैर सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में क्या हो रहा है। गैर सरकारी संस्थायें अपने संस्थागत स्थायित्व को प्रभावित न होने के लिये क्या करती है। तथा समाज में इस प्रकार की संस्थाओं का क्या महत्व है। इसका अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

**संस्थागत स्थायित्व**

किसी सामाजिक संगठन को लम्बे समय तक कारगार ढंग से चलाने में बहुत से घटको का योगदान होता है जिनमें आर्थिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक और हांल के वर्षों में आस–पास के वातारण का प्रभाव शामिल है। कल्याण व विकास के क्षेत्र में, जहॉ समाजिक संगठनों का मुख्य कार्य शोषितों व उपेक्षितों के जीवन निर्वहन के लिये आवश्यक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना होता है, वही उन्हें अपने अस्तित्व रक्षा के लिये ज्यादा कठिनाई महसूस होती है। इस कठिनाई से निपटने के लिये सामाजिक संगठनों को स्थानीय समाज से मदद व लाभार्थियों से सहायता के अलावा सरकारी अथवा दूसरी वित्तीय मदद् देने वाली संस्थाओं से आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है।

**सैद्धान्तिक स्पष्टीकरण**

स्थायित्व से मतलब है किसी चीज का अस्तित्व में होना या उसका स्थाई टिकाऊ होना। अतः किसी संगठन विषेशकर स्वैच्छिक संगठनों के लिये स्थायित्व व टिकाऊपन दो आधाभूत तत्व होते है, क्योंकि वे अपने अस्तित्व के लिये कई स्त्रोंतों पर निर्भर होते है। देश में प्रचलित नियोजित विकास के अन्तर्गत, स्वैच्छिक, सामाजिक संगठनों का मुख्य प्रयास समाज के निर्धन व उपेक्षित वर्ग की सामाजिक व आर्थिक जरुरतों एव उनके लिये उपलब्ध सीमित संसाधनों के अंतर को खत्म करना होता है। जरुरमंदों को सहायता उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य होता है विशेषकर जब सामाजिक संगठनों को स्वयं के ही अस्तित्व को कायम रखने के लिये कड़ी मेहनत करनी पड़ती हो। इन कठिनाईयों के बावजूद समाज, संसाधन, माहौल एवं विकास के मध्य परस्पर दूरगामी संबंध बनाकर कोई भी संगठन लंबे समय तक कार्य करता है।

**स्वैच्छिकता**

हमारे देश की लोकतांत्रिक सरकार की पद्धति में सरकारी मशीनरी तंत्र जिसमें केन्द्र, राज्य व स्थानीय स्तर पर संविधान, लोक तांत्रिक, विधायी व प्रशासनिक तंत्र को लागू करना एवं संविधान की दिशा निर्देशों को लागू करने के लिये सामाजिक कानूनों का निर्माण शामिल है, इसके बावजूद समाजसेवी संगठनों की स्वैच्छिकता ही समाजिक विकास में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की जरुरी भूमिका निभाती है।

समाज, विशेषकर निर्धन, उपेक्षितों व शोषितों के कल्याण व विकास की उन्नति में लोगों की भादीदारी जरुरी होती है। यह भूमिका स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से निभाई जा सकती है क्योंकि ये संगठन स्थानीय समाज से सीधे जुड़े होते है एवं नौकरशाही की अड़चनों से मुक्त होता है। स्चैच्छिक होने के कारण वे अपने कार्यों में नित नये विचार का प्रयोग कर सकते है। जिससे वे जरुरी होने पर जनमत व सामाजिक कार्यों के माध्यम से सरकार को उसकी गलतियों को सुधारने में मदद करते है। इस प्रकार देश में समाज के कल्याण एवं विकास में इनकी कल्याणकारी संगठनों की स्वैच्छिकता का महत्वपूर्ण योगदान है।

**स्थायित्व के लिए**

किसी संगठन को लम्बे समय तक चलाने के लिये घोषणापत्र में भी इसका भाव झलकना चाहिए। उसकी यह इच्छा न केवल उसके उस संगठन के कर्मचारियों, प्रशिक्षत कार्यकर्ताओं बल्कि प्रबंधन के सदस्यों में भी दिखनी चाहिये। समाज व लाभार्थियों का सहयोग भी किसी संगठन को दीर्घावधि तक चलने की ताकत प्रदान करते है। इस प्रकार सभी संबद्ध लोगो के सामूहिक प्रयास से कोई संगठन उच्चतम स्तर तक आत्मनिर्भर होकर लम्बे समय तक काम कर सकता है। किसी स्वैच्छिक संगठन को, विशेषकर समाज कल्याण व विकास के क्षेत्र में, लम्बे समय तक कार्य करने के लिये आवश्यक है कि वह संगठन अपने कार्यों व सेवाओं में लाभार्थियों व समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करें। बड़े परिप्रेक्ष्य में, शहरों व महानगरों में जहॉ ऐसे संगठन स्थानीय समाज से संसाधन जुटाते है वही उस संगठन के दीर्घावधि तक चलाने की क्षमता काफी हद तक उस समाज के नागरिकों के सहयोग पर निर्भर करती है जो कि दाता भी है और लेने वाला भी है। आत्मनिर्भर के प्रयास में सभी लोगो के मन में देने व मिला कर काम करने की भावना दिखनी चाहिये। इस प्रक्रिया में स्वयं सहायता व दूसरे की मदद ही स्वैच्छिकता की सच्ची तस्वीर है।

आर्थिक स्वतंत्रता के कई घटक है जैसे स्थानीय समुदाय व लाभर्थियों से प्राप्त वित्तीय सहायता, आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त आय, किसी बड़े समुदाय से इक्कठा धन प्राप्त करना व अनुदान देने वाली संस्थाओं से वित्तीय मदद प्राप्त करना। अनुभव बताते है कि किसी संस्था का कुल व्यय का 25 प्रतिशत तक फीस के रुप में लाभार्थियों के दान से पूरा किया जा सकता है। चूॅकि स्थानीय समाज से प्राप्त दान उस समाज के आर्थिक स्तर पर निर्भर करता है इसलिये यह कम ज्यादा होता रहता है। अधिकतर यह नगद रुपयों की जगह वस्तुओं के रुप में होता है जैसे कोई एक बार देता है तो कोई बार–बार परन्तु इसमें निरन्तरता का आभाव झलकता है। इस बात की मान्यता बढ़ती जा रही है कि हर संगठन को अपने लाभार्थियों के लिये आर्थिक गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। इन गतिविधियों के प्रबंध से संगठन के 10 प्रतिषत खर्चे पूरे हो सकते है। अर्थ व्यवस्था के तेजी से औद्यौगीकरण के बावजूद वित्तीय मदद के लिये उद्योग व व्यापार जगत को आगे आने की जरुरत है। नागरिकों के समाजिक उत्थान की यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती

है। बजारी अर्थव्यवस्था को एक ऐसी सामाजिक नीति को विकसित करने की आवश्यकता है जहॉ उद्योग व व्यापार जगत जरुरतमंदों एवं शोषितों की जरुरतो को पूरी कर सकें।

हाल के वर्षों में सामाजिक संगठनों द्वारा ''कम्यूनिटी चेस्ट'' पद्धति से जिसे ''युनाईटेड वे'' के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक सहायता प्राप्त करने के प्रयास हुये है। इसी पद्धति से बड़ौदा में पिछले 6 साल से किये गये प्रयास दर्शाते है कि नागरिकों व स्वयंसेवी संगठनों के सामूहिक प्रयास से लगभग 15–20 लाख रुपये इक्कठा करने में सफलता मिली व हर वर्ष 30–40 संस्थाओं को सामाजिक कल्याण के लिये दिये गये। इसी तरह के प्रयास, औद्योगीकरण की दिशा में बढ़ रहें दूसरे षहरों में भी व्यापार जगत, नागरिको व स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से किये जा सकते है। स्वयंसेवी संगठनों की मदद करने वाली संस्थाओं में से 'सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, डिपार्टमेन्ट ऑफ चाइल्ड एण्ड वूमेन ऑफ हयूमन रिसोर्स डिवलेपमेन्ट मिनिस्ट्री, हेल्थ एण्ड फेमली वेलफेयर मिनिस्ट्री और विदेशी दानदाता संस्थाये प्रमुख है। अनुभव बताते है कि इस प्रकार की सहायता से इन्ही पर निर्भरता बन जाती है।

इसी प्रकार किसी संगठन के लम्बे समय तक कार्य करने की क्षमता व अस्तित्व रक्षा के कुछ सामाजिक घटक भी होते है। किसी स्वयंसेवी संगठन के व्यवस्थापकों की मंशा, स्वैच्छिकता के प्रति उनका लगाव व समपर्ण भी प्रमुख कारक होते है।

किसी संगठन द्वारा समाज के नेतृत्व करने के अलावा, कार्यकर्ताओं का सहयोग, कर्मचारियों के लिये विकास व प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्य करने की आजादी, वित्तीय लेन–देन में पारदर्शिता व आम आदमी को जॉचने के लिये खाते उपलब्ध कराना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

## वित्तीय सहायता प्राप्त करने की विधियॉ व उद्देश्य

बड़े औद्योगिक शहरों व महानगरों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये, सुनियोजित प्रयास करने होते है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है जिसे समर्थन व मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है।

किसी समाज व उसके व्यवहार के आधार पर कई तरह से आर्थिक सहायता की जा रही है। उदाहरण के लिये किसी धार्मिक आयोजन में प्रवेश शुल्क के रुप में गरबा व अन्य लोक नृत्य जैसे विशेष आयोजनों में टिकट के रुप में धन, वरिष्ठ नागरिक मार्च, युवा मैराथन, किसी उद्योग में कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन में कटौती, डाक्टरों, शिक्षको व वकीलो के संगठनों के सदस्यों से प्राप्त धन के आलावा रोटरी व लायन्स क्लब जैसे संगठनों से भी प्रभावी तरीके से वित्तीय मदद प्राप्त की जा सकती है।

यह सारे प्रयास कठिन होते हुये भी सफल हो सकते है यदि स्वयंसेवी व आर्थिक संगठनों व संस्थाओं के बीच तारतम्य स्थापित करते हुये इस भावना से संयुक्त प्रयास किये जाये कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर शोषितों व उपेक्षितों का विकास हो सके। समाजिक विकास के लिये हर नागरिक को दान देने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु एक ऐसे वातावरण की जरुरत है जहॉ लोगो में एक दूसरे की सहायता करने व मिल–जुल कर काम करने की भावना हो।

प्रश्न अभी भी अनुत्तरित रह जाता है कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? वित्तीय सहायता प्राप्त करने वा उसे बांटने का तरीका एवं उसका लक्ष्य क्या है? इस मूल प्रश्न के तीन घटक है।

1. आर्थिक सहायता प्राप्त करने में लोगों की निजी व सामाजिक स्तर पर सहभागिता।
2. स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लाभार्थियों की वास्तविक जरुरतों को पूरा करने के सिद्धान्त पर धन का वितरण।
3. विकास के उपलब्ध धन के उपयोग में ईमानदारी।

दूसरे शब्दों में कहा जाये तो ''क्या इस प्रकार इक्कठा किये धन के उपयोग से जनहित की भावना झलकती है।''

## अस्तित्व रक्षा को महत्व देने के लाभ व खतरे

आजकल की परिस्थितियों में जहां सरकारी व विदेशी मदद् का प्रवाह बढ़ रहा है व गैर सरकारी संगठनों को बुहत सी सुविधायें उपलब्ध है वहॉ किसी संगठन का अस्तित्व रक्षा व लम्बे समय तक काम करने की बात करना काफी अजीब लगता है। वित्तीय मदद देने वाले संगठनों का स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रति अपना एक अलग नजरिया होता है। यदि वे किसी कार्यक्रम विशेष के लिये ही वित्तीय मदद् प्रदान करते है तो प्रोफशनल कर्मचारियों के निर्वाहन में कठिनाई आ सकती है। हो सकता है कि वे एक निश्चित समय के लिये ही वित्तीय मदद हो तो संस्था को उसके बाद बिना वित्तीय मदद् के गुजारा करना होगा। आत्मनिर्भरता को सहायता न करने के बचाव में प्रयोग किया जा सकता है। कभी–कभी दानदाता संगठन व मदद प्राप्त करने वाली संस्था के बीच यह अस्तित्व के कारण एक विशेष सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। अतः आत्मनिर्भरता पर अधिक जोर देने पर गलत संदेश जा सकता है। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि अस्तित्व रक्षा की प्रक्रिया लंबी व कठिन होने के बावजूद, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आत्मनिर्भरता पर अधिक महत्व देने से नुकसान भी हो सकता है। इन जैसे व कई अन्य खतरों के बावजूद अस्तित्व रक्षा के लिये किये गये प्रयासों से स्वयंसेवी संस्थाओं को मजबूती व आत्मविश्वास मिलता है जिससे उन्हें स्थानीय समाज से निकट सम्बन्ध स्थापित करने सामाजिक कार्यों में लोगों की अनवरत सहभागिता के अलावा उस शहर या जिले के वृहद समाज से अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलती है। आत्मनिर्भरता के लिये किये गये प्रयासों से किसी कार्यक्रम विशेष के लिये दान दाताओं के चुनाव एवं प्रोफेशनल कर्मचारियों के निर्वाहन में कॉफी आसानी हो जाती है। जिससे दानदाता संगठन व स्वयंसेवी संस्था के बीच मजबूत रिश्ता बन जाता है।

## दानदाता संगठनों के चिन्तन में बदलाव की जरुरत

स्वैच्छिक, सामाजिक कल्याणकारी संगठनों के लिये अस्तित्व रक्षा की बढ़ती महत्ता के सन्दर्भ में दानी संगठनों के दृष्टिकोण पर दोबारा विचार की आवश्यकता है।

1952 में सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना से ही सरकार ने देश की शोषित व उपेक्षित

जनता के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वयंसेवी संगठनों को विततीय मदद उपलब्ध कराने की शुरुआत की थी। फिर यह समाज के कल्याणकारी कार्यों के प्रसार में सहारा देने के लिये योजनाओं में शामिल की गयी। हांलाकि यह उस समय की जरुरत थी व कुछ हद तक आज भी इसकी आवश्यकता है। आर्थिक सहायता की इस पद्धति ने समाजिक संगठनों की मूल प्रकृति व उनके दृष्टिकोण को कॉफी हद तक प्रभावित किया है। ये संगठन कॉफी हद तक इन्ही आर्थिक सहायतों पर निर्भर होकर रह गये। इन परिस्थितियों में वह समाजिक संगठन जो स्थानीय समाज से जुड़े हुये थे एवं इनके कार्यकलापों में लाभार्थियों की सहभागिता थी, उनमें भी अपने अस्तित्व रक्षा की भावना कम होने लगी और कुछ में तो विलुप्त ही हो गयी। इससे स्वैच्छिता की भावना व किसी लोकतांत्रिक पद्धति के प्रभावित तरीके से कार्य करने में स्वैच्छिकता की भूमिक को चोट पहुॅची फिर भी एक महत्वपूर्ण विषय होने के कारण इस पर अलग से विचार की आवश्यकता है। अस्तित्व रक्षा के सन्दर्भ में, जोकि इस षोधपत्र का मुख्य उद्देश्य है यह कहना मुनासिब होगा कि दानी संगठनों के दृष्टिकोण पर दोबारा विचार की आवश्यकता है। आर्थिक सहायता के प्रमुख उद्देश्य के रुप में उन्हें कल्याणकारी संगठनों के स्वैच्छिक चरित्र को पूरा समर्थन देना चाहिए जिसमें स्थानीय समाज में उनकी गहरी पैठ, नेक विचारों व प्रयोगों को अपनाना व वित्तीय लेन–देन समेंत समस्त कार्यों में पारदर्शिता शामिल है। दान प्राप्त करने वाली संस्थायें सिर्फ दानी संगठनों की मदद् पर भी न निर्भर रहें एवं स्वैच्छिक कार्यों के प्रति अपनी स्वायतता न खों दें, इसके प्रतिदानी संगठनों को भी सर्तक रहने की आवश्यकता है। यह सब कुछ वित्तीय मदद् के लिये विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपना कर प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी व विदेशी दोनों तरह के दानी संगठनों को एक नयें विचार को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि दान प्राप्त संगठनों की स्वैच्छिकता एवं उनके कल्याण व विकास की सच्ची प्रकृति को सुनिश्चित किया जा सकें।

## निष्कर्ष एवं सुझाव

आर्थिक सहायता प्राप्त कोई राष्ट्रीय अथवा अर्न्तराष्ट्रीय योजना, चाहे वह गरीबी उन्मूलन की क्यों न हो, तत्कालीन एवं अपर्याप्त होती है। कुल जरुरतमंदों के 50 प्रतिशत् लोगों तक ही उनके लाभ पहुॅच पाते है। यह अनुमान भी शायद अतिशयोक्तिपूर्ण है। प्रश्न यह उठता है कि समाज के शोषित व उपेक्षित वर्ग के एक बड़े हिस्से तक कैसे इन योजनाओं का लाभ पहुॅचाया जाये ताकि उनकी बुनियादी जरुरतें जैसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, रोजगार एवं कल्याण के प्रति सामाजिक सुरक्षा का एहसास हो अब जबकि उद्योग व व्यापार जगत भी काफी उदार हो गये है। लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठा है, इसलिए देश के सभी जरुरतमंदो को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिये नीति आयोग पहल करें।

पश्चिमी देशों में भी अर्थव्यस्था के औद्योगिकरण के साथ ही धीरे–धीरे सामाजिक सुरक्षा के उपाय भी शुरु किये गये थे। इंग्लैण्ड में ''फाबियान सोसाइटी'' के प्रयासों व अमरीका में न्यू डील की शुरुआत के कारण ही सभी नागरिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा के तंत्र को स्थापित करने में सफलता मिली। यह भी सत्य है कि प्रत्येक तंत्र को नये उभरते हुये आर्थिक परिवेश के अनुसार कुछ बदलाव की जरुरत होती है। समय बीतने के साथ ही, हमारे देश में भी सामाजिक सुरक्षा के उपायों का प्रादुर्भाव होने वाला है परन्तु बिना योजना व तैयारी के नही। उद्योगों में संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये एक सामाजिक कानून के अन्तर्गत सामाजित सुरक्षा के उपाय उपलब्ध है। परन्तु सम्पूर्ण आबादी का एक अंश मात्र ही इसके दायरे में आता है। $NGO_s$ कृषि क्षेत्र एवं रोजगार से जुड़े असंगठित श्रमिकों को एक जुट करने के प्रयास किये जा रहें है, ताकि रोजगार व सामाजिक सुरक्षा के नये अवसर विकसित किये जा सकें। इन प्रयोग को सम्पूर्ण असंगठित कार्यशील आबादी तक पहुॅचाने की आवश्यकता है। इस विषय पर भी विचार की जरुरत है कि देश में निर्धन व उपेक्षित वर्ग की मदद् के लिये सरकारी अथवा निजी स्तर पर कितनी सहायता उपलब्ध है एवं कैसे इसे एक साथ इक्कठा करके तत्कालीन की जगह स्थाई सहायता प्रदान की जाये। देश की निर्धन आबादी के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सभी संसाधनों को एक जगह इक्कठा करने के प्रयास करने होंगे। ताकि उनकी दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Dubhhashi P.R. Economic, Planing and public administration somaiya publication, New Delhi & Bombey. Page 72
2. M.C. Meher & Kulkarni P.D. 1998, $NGO_s$ in the changing secenerio Uppal publication house, New Delhi. Page 16-18
3. Forrington, John & Devid J. Lewis (1993), NGO & the state in Asia: Rethinking role sustainable agricultural development, routledge, London
4. Ahmed, Kamaluddhin, Ehasan Latif (1998) "NGO in International Development: Policy Option & Stratgies" Biiss journal, volume 19 (2)
5. Lawani B.T. 1999 $NGO_s$ in Development, Sage Publications, New Delhi.